न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बरः– 94 / 2025
जी0सी0एम0एस0 :–2025 / 334

1.गीता देवी पत्नी स्व0 गौरधन जाति मेघवंशी बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
2.पूरणमल पुत्र स्व0 गौरधन जाति मेघवंशी बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
3.राजेन्द्र पुत्र स्व0 गौरधन जाति मेघवंशी बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
4.रामौतार पुत्र स्व0 गौरधन जाति मेघवंशी बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।

आवेदकगण....

बनाम

1.प्रहलाद पुत्र मंशाराम जाति माली बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
2.सोनाराम पुत्र मंशाराम जाति माली बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
3.नरसाराम पुत्र माला जाति मेघवंशी बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
4.सविता देवी पुत्री शैतानराम जाति मेघवंशी बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
5.मन्नाराम पुत्र माला जाति मेघवंशी बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
6.बोदुराम पुत्र माला जाति मेघवंशी बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
7.देबूराम पुत्र सांवल जाति बलाई बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
8.राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
9.केदारमल पुत्र म्हादूराम जाति माली बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
10.करण पुत्र बीरबल जाति माली बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
11.छैलाराम पुत्र म्हादूराम जाति माली बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
12.धर्मेन्द्र पुत्र बीरबल जाति माली बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
13.मनेष देवी पुत्री बीरबल जाति माली बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
14.मनोहरलाल पुत्र म्हादूराम जाति माली बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
15.मांगूराम पुत्र म्हादूराम जाति माली बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
16.लक्ष्मण पुत्र बीरबल जाति माली बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
17.तीजू देवी पत्नी पूरा जाति मेघवंशी बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
18.नरेन्द्र कुमार पुत्र पूरा जाति मेघवंशी बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
19.नारायणलाल पुत्र पूरा जाति मेघवंशी बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
20.शंकरलाल पुत्र पूरा जाति मेघवंशी बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
21.अनिल कुमार पुत्र श्यामसुन्दर बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
22.संजय कुमार पुत्र श्यामसुन्दर बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
23.पूनम देवी पुत्री शैतानराम जाति मेघवंशी बागोरियां की ढाणी, चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
24. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।

अनावेदकगण.....

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुंझुनूं)

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 111, 128, भू– राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :-21.11.25

आवेदकगण ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 111, 128 एल.आर. एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम बागोरिया की ढाणी पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 137, 139 कुल किता 2 कुल रकबा 3.300 हैक्टर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि आवेदकगण की खातेदारी भूमि है जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। भूमि खसरा नम्बर 137, 139 के पड़ोसी खातेदारों को पक्षकार बनाया है। उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 137, 139 आवेदकगण की खातेदारी भूमि है जिस पर आवेदकगण का कब्जा काश्त है। आवेदकगण उक्त वर्णित भूमि की सीमाओ पर पत्थरगढी करवाना चाहते है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान नहीं होने के कारण आवेदकगण ने अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार नवलगढ के यहां आवेदन किया था, जिस पर तहसीलदार नवलगढ के आदेश क्रमांक 236 दिनांक 11.11.2024 की पालना में दिनांक 05.02.2025 को पटवारी हल्का चिराना द्वारा उपर वर्णित भूमि का सीमाज्ञान किया गया है जिससे आवेदकगण पूर्णतया सन्तुष्ट है तथा जिसकी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट सलंग्न है। आवेदकगण अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु चार दिवारी/तारबंदी करवाना चाहता है जिससे आवेदकगण की खातेदारी भूमि की सुरक्षा हो सके इसलिए आवेदकगण उक्त अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है।

अन्त में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बागोरिया की ढाणी पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 137, 139 कुल किता 2 कुल रकबा 3.300 हैक्टर की सीमाओं पर दिनांक 05.02.2025 के सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदक की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 24 बावजूद तामील न्यायालय में हाजिर नहीं आए अतः इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील आवेदकगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि राजस्व ग्राम बागोरिया की ढाणी पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 137, 139 कुल किता 2 कुल रकबा 3.300 हैक्टर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि आवेदकगण की खातेदारी भूमि है जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। भूमि खसरा नम्बर 137, 139 के पड़ोसी खातेदारों को पक्षकार बनाया है। उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 137, 139 आवेदकगण की खातेदारी भूमि है जिस पर आवेदकगण का कब्जा काश्त है। आवेदकगण उक्त वर्णित भूमि की सीमाओ पर पत्थरगढी करवाना चाहते है। आवेदकगण अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः राजस्व ग्राम बागोरिया की ढाणी पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 137, 139 कुल किता 2 कुल रकबा 3.300 हैक्टर की सीमाओं पर फर्द सीमाज्ञान दिनांक 05.02.2025 के मुताबिक पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जाना प्रार्थनीय है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ (झुन्झुनूं)

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अवलोकन पश्चात पाते है कि जिसका सीमाज्ञान दिनांक 05.02.2025 को किया गया। आवेदकगण उक्त सीमाज्ञान रिर्पोट से पूर्णतया संतुष्ट है। उक्त वर्णित भूमि के आवेदकगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा सीमाज्ञान के अनुसार ही अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर नम्बर 137, 139 कुल किता 2 कुल रकबा 3.300 हैक्टर की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाना चाहते है। उक्त विवेचन से जाहिर होता है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बागोरिया की ढाणी पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 137, 139 कुल किता 2 कुल रकबा 3.300 हैक्टर की सीमाओं पर फर्द सीमाज्ञान दिनांक 05.02.2025 के अनुसार सीमाचिह्न अर्थात पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार नियमानुसार शुल्क जमा कर तथा नाप जोख कर पत्थरगढी की कार्यवाही करें।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

निर्णय आज दिनांक 21·11·25 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ